

## सार्वजनिक सूचना:-

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 15.01.2016 के क्रम में जनपद-सोनभद्र स्थित स्वस्थाने चट्टाने (In-situ Rock) (राज्य सरकार/निजी भूमि) एवं नदी तल स्थित निजी भूमि में उपलब्ध उपखनिज (बालू/मोरम) (राज्य सरकार/निजी भूमि) से सम्बन्धित कुल 26 क्षेत्रों के लिए जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट(डी0एस0आर0) तैयार की गयी है, जिसे भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन के अनुमोदनोपरान्त निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-2396/एम0 228/2017 (खनन नीति)-डी0 एस0 आर0 दिनांक 06.03.2021 द्वारा सम्बन्धित खनन क्षेत्रों के व्यवस्थापन के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डी0एस0आर0) को जनपद की वेबसाइट पर जन मानस से आपत्तियां एवं सुझाव हेतु अपलोड किया जाना है, जिसकी एक प्रति कलेक्ट्रेट, सोनभद्र स्थित जे0ए0 अनुभाग के पास उपलब्ध है। उक्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो उस आपत्ति को कलेक्ट्रेट, सोनभद्र स्थित जे0ए0 बाबू/खान अधिकारी, सोनभद्र के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है।

(मो0 महबूब)

खान अधिकारी,  
सोनभद्र।

### कार्यालय जिलाधिकारी(खनिज अनुभाग), सोनभद्र।

पत्रांक 872 / खनिज / प्रेस विज्ञापित / 2021

दिनांक 15/3/2021

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0, खनिज भवन, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, सोनभद्र।
3. प्रभारी अधिकारी(खनन), सोनभद्र।
4. सूचना विज्ञान अधिकारी, कलेक्ट्रेट, सोनभद्र को इस आशय से कि पत्र के साथ संलग्न जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डी0एस0आर0) को जनपद-सोनभद्र की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. जे0ए0 बाबू, कलेक्ट्रेट, सोनभद्र।
6. नोटिस बोर्ड, कलेक्ट्रेट, सोनभद्र / खनिज कार्यालय, सोनभद्र पर चस्पा हेतु।

खान अधिकारी,  
सोनभद्र।